

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 30.05.2022

**थाना गौर पुलिस व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा
01 अन्तर्राज्यीय चोर/ टप्पेबाज को एक अदद अवैध तमंचा, 01 अदद जिन्दा
कारतूस व रूपये 50,000/- नगद के साथ किया गया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक गौर श्री बृजेन्द्र प्रसाद पटेल के नेतृत्व में प्रभारी चौकी बभनान उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद मय पुलिस टीम व प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 श्री दुर्विजय मय टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 30.05.2022 को थाना गौर जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2022 धारा 420, 419, 467, 468, 471 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ राजन पुत्र स्व0 नरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम नौसहरा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा(उ0प्र0) को रूपये 50,000/- नगद, Nokia कीपैड मोबाइबल व एक अदद पैशन प्रो मोटरसाइकिल तथा एक अदद अवैध तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत हरैया-बभनान तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ राजन के विरुद्ध थाना गौर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 130/2022 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा चोरी/ टप्पेबाजी की घटना का खुलासा करने एवं चोरी/ टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु ₹ 25000/- का नगद इनाम देने की घोषणा की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जितेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ राजन पुत्र स्व0 नरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नौसहरा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. रुपये 50,000/- नगद ।
2. एक अदद नोकिया की पैड मोबाइल ।
3. एक अदद मोटरसाइकिल पेशन प्रो (UP 32 GR 5379 फर्जी नम्बर प्लेट) ।
4. एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-18.05.2022 को गोविन्द लाल पुत्र कृष्णा प्रसाद निवासी वार्ड नं0 3 लोहिया नगर थाना गौर जनपद बस्ती द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक 17.05.2022 की शाम को लगभग 04:00 बजे भटहा सम्मय गेट के बगल मेरे किराना व गल्ला की दुकान पर मेरे परिचित शिव नरायन निवासी बभनान नगर वार्ड नं0 7 दुकान पर एक ग्राहक को लेकर आये और 28 क्विंटन 56 किलोग्राम गेहूँ खरीदने की बात किये जिस पर मैं पैसे को इन्तेजाम कर अपने पिकअप गाड़ी को लेकर ग्राहक द्वारा बताये हुए स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बभनान पहुँचा तब अज्ञात ग्राहक ने कहा कि तुम माल लोड करो और पैसा दो क्योंकि डॉक्टर साहब को देना है । मैं रुपये 50,000/- अज्ञात ग्राहक को जैसे ही हाथ मे दिया वह पैसे को लेकर अस्पताल के अन्दर गया और बाहर निकलते समय बोला कि मैं लेबर लेकर आ रहा हूँ । कुछ समय उपरान्त जब वह नहीं आया तब मैंने मेरे परिचित शिव नरायन से पूछा क्या तुम उसको जानते हो जिस पर शिव नरायन ने बताया कि मैं नहीं जानता हूँ ।

जिसके सम्बन्ध में थाना गौर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 111/2022 धारा 420 IPC पंजीकृत कर आज दिनांक 30.05.2022 को जितेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ राजन को रुपये 50,000/- नगद, Nokia की पैड मोबाइल व एक अदद पेशन प्रो मोटरसाइकिल तथा एक अदद अवैध तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत हरैया-बभनान तिराहे से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो रुपया आप लोगो को मेरे पास से मिला है उसे दिनांक 17.05.2022 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बभनान से अनाज गल्ला वाले गेहूँ देने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपये 50,000/- लेकर भाग गया था, जिसे अभी तक खर्च नहीं कर पाया हूँ तथा किसी घटना के दौरान अपने आप को बचाने के लिए लखनऊ के एक अज्ञान व्यक्ति से तमन्चे को खरीदा था। अपने आपको पकड़े जाने से बचने के लिए घटना करने के दौरान गाड़ी पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा लेता हूँ और आज भी किसी घटना करने की फिराक में जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक गौर श्री बृजेन्द्र प्रसाद पटेल जनपद बस्ती।
2. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना गौर जनपद बस्ती।
3. प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 श्री दुर्विजय जनपद बस्ती।
4. उ0नि0 श्री विजयकान्त यादव थाना गौर जनपद बस्ती।
5. का0 जितेन्द्र यादव सर्विलांस सेल जनपद बस्ती।
6. हे0का0 चन्द्रशेखर यादव, का0 श्रीकान्त यादव, का0 राहुल मिश्रा थाना गौर जनपद बस्ती।

